बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.11.22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत के पेश हुई। जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है, जो शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि के आधार पर वाद: वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होने से, लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुये, स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज्ञापत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

—::न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—

बइलास राजेश डागा (आर .ए.एस.)

मिसल न0 45 /22 तारीख दायरा:—

बउनवान

परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रतिवादी—

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी

उपस्थिति:—
वादी की ओर से :— श्री किशोरी लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

—::निर्णय ::— दिनांक :—12/11/202

संक्षेप मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात स्थित है, उक्त आराजीयात वादी के शांती पूर्वक कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात के राज्सव रेकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से नाबालिग प्रमेशचन्द पुत्र महेन्द्र कुमार संरक्षक वली दादा रामप्रताप दर्ज है। वादील का नाम उक्त आराजी मे गलत रूपसे प्रमेश चन्द दर्ज होने से वादी का नाबालिग का नोट भी नही हटा है, वादी के राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने व नाबालिग दर्ज होने से वादी को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व सरकार से मुआवजा व अन्य सहायता/ अनुदान राशि प्राप्त करने से भी वंचित रहना पड रहा है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र

2.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जन आधार कार्ड, व विघालय रेकार्ड अंक तालिका आदि सभी मेवादी का नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज है, जिससे वादी का नाम परमेश्वर शर्मा होने की पुष्टि होती है। वादी द्वारा आज से एक माह पूर्व पटवारी हल्का महोदय से वादीके गलत नाम प्रमेशचन्द पुत्र महेन्द्र कूमार के स्थान पर वास्तविक नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेश चन्द को दुरस्त करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करने से मना कर दिया और माननीय न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत करके व नाबालिग के स्थान बालिग दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, कि वादी के एकल खाते व कब्जे काश्त की बाराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के रूथान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत हाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया , तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई राजहित प्रभाविन्न नही होने बाबत अपनी सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त बहस वादी सुनी गई, जिसमे वकील वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दौहराया गया, और उक्त वाद को डिकी करने की प्रार्थना की गई । मैने उक्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार प्रतिवादी उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर प्रमेशचन्द उर्फ परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

जन आधार कार्ड, व विघालय रेकार्ड अंक तालिका आदि सभी मेवादी का नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज है, जिससे वादी का नाम परमेश्वर शर्मा होने की पुष्टि होती है। वादी द्वारा आज से एक माह पूर्व पटवारी हल्का महोदय से वादीके गलत नाम प्रमेशचन्द पुत्र महेन्द्र कूमार के स्थान पर वास्तविक नाम परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त करवाने के लिए निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा वादी के गलत नाम प्रमेश चन्द को दुरस्त करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करने से मना कर दिया और माननीय न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत करके व नाबालिग के स्थान बालिग दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, कि वादी के एकल खाते व कब्जे काश्त की बाराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के रूथान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत हाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया , तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई राजहित प्रभावित नही होने बाबत अपनी सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त बहस वादी सुनी गई, जिसमे वकील वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दौहराया गया, और उक्त वाद को डिकी करने की प्रार्थना की गई । मैने उक्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार प्रतिवादी उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि माल ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर प्रमेशचन्द उर्फ परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के

अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर.ए.एस.)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12-11-2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर.ए.एस.
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बइलास राजेश डागा (आर .ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद मिसल नं0 94 / 202:
तारीख दायराः– 20.07.2022

बउनवान

परमेश्वर शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादी–

बनाम राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट</u>
<u>बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी</u>

दिनांकः– 12/11/2022

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा (आर. ए. एस.) व हाजरी श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट, एवं पैरोकार सरकारं प्रतिवादी मिन जानिब मुददई रूबरू श्री .... मिन मुद्दायज पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माज ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खता सं0 नई386 के खसरा नं0 1132 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 1133 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं0 1134 की 0.25 हेक्टर , खसरा नं0 1135 की 0.05 हेक्टर कुल 4 किता की कुल 0.80 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम प्रमेशचन्द को दुरस्त कर प्रमेशचन्द उर्फ परमेश्वर शर्मा दर्ज करने व नाबालिग के रूथान पर बालिग दर्ज कियेजाने की घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रीकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)
(राजेश डागा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद